केन्द्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
18 संस्थागत क्षेत्र,शहीद जीत सिंह मार्ग,नई दिल्ली
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
An Autonomous Body Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय,नई दिल्ली/Head Quarters, New Delhi
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi-110016.
Tel.: 011-26534897
Website: www.kvsangathan.nic.in
E-mail: kvsacfinance2@gmail.com

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

फ़ासं11लेखा-परीक्षा/विविध/पूर्ति ई-7593/ 1/2020/ केविसं(मु0)/ दिनांक: 16/06/2021

ई-मेल/केविसं/वेबसाइट

उपायुक्त/निदेशक,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
सभी क्षेत्रीय कार्यालय/जीट

विषय: केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना(CGHS) केन्द्रीय सेवा(चिकित्सा परिचर CS(MA) नियमावली के तहत केविसं के कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा उपचार लेने के तौर-तरीकों पर स्पष्टीकरण।

महोदया/महोदय,

इस कार्यालय में विभिन्न हितधारकों से अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए ली जाने वाली चिकित्सीय सुविधाएं/उपचार के बारे में चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया/ग्राहयता के बारे में स्पष्टीकरण के लिए विभिन्न पत्र प्राप्त हो रहे हैं। यह सूचित किया जाता है कि इस संबंध में, केविसं मुख्यालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्पष्टीकरण पहले ही जारी किए जा चुके हैं, तथापि सभी संबंधितों के तत्काल संदर्भ हेतु उन्हें एक बार फिर से दोहराया जाता है।

2. केविसं मुख्यालय नई दिल्ली और कुछ क्षेत्रीय कार्यालय/केवि में तैनात कर्मचारियों के संबंध में जो के०स०स्वा०यो०(CGHS) के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, चिकित्सा सुविधाएं और उपचार सीजीएचएस नियमों के अनुसार विनियमित होते हैं। अतः इस संबंध में सीजीएचएस द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार ही उपचार लेने की प्रक्रिया का अनुपालन सख्ती से करते हुए ऐसे दावों को मौजूदा नियमों के अनुसार ही स्वीकृत/स्वीकार किया जाएगा।

2.1 सीजीएचएस के पैनल में शामिल निजी अस्पताल में भर्ती (इन-पेशेंट) सीजीएचएस लाभार्थी द्वारा लिए गए उपचार के मामलों में, अस्पताल से छुट्टी लेने के समय 7 दिनों तक की अवधि के लिए दवाएं, जिसकी कुल लागत रु०2000/-, से अधिक नहीं हो,कर्मचारी द्वारा अपनी सुविधानुसार इलाज करने वाले अस्पताल से खरीदी जा सकती है या उन दवाइयों को सीजीएचएस डिस्पेंसरी से प्राप्त किया जा सकता है (संदर्भ: भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का दिनांक 22 जून 2014 का कार्यालय ज्ञापन)।

3. सीजीएचएस सुविधा से इतर क्षेत्रों में तैनात क्षेत्रीय कार्यालयों/केंद्रीय विद्यालयों/जीट के अन्य सभी कर्मचारियों के संबंध में चिकित्सा उपचार/सुविधाओं के मामले, केन्द्रीय सेवा (एमए) नियम 1944 के अनुसार विनियमित होते हैं, जिनका संक्षेप में वर्णन निम्नवत हैं:-

(क) कर्मचारियों/उनके परिवारों द्वारा किसी भी सरकारी अस्पताल/ए.एम.ए. से ली गई चिकित्सा /उपचार के बिलों की प्रतिपूर्ति संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी अर्थात प्रधानाचार्यों/उपायुक्तों/निदेशकों द्वारा की जाएगी अर्थात उन्हें इस संबंध में पूर्ण शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। केंद्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों के मामलों में सरकारी अस्पताल में केन्द्रीय सेवा (एमए) नियमावली के नियम (2) के तहत परिभाषित सरकारी अस्पताल की परिभाषा के अनुसार छावनी, आईआईटी और विश्वविद्यालय अस्पताल भी शामिल होंगे।

(ख) इसके अतिरिक्त, आपातकालीन स्थिति में किसी निजी अस्पताल में ली गई किसी भी प्रकार की चिकित्सा/उपचार, जो सीजीएचएस / केन्द्रीय सेवा (एमए) नियमावली के तहत मान्यताप्राप्त नहीं है, को निर्धारित नियमों में छूट प्रदान करते हुए सीएस (एम.ए.)नियमावली के अनुसार विनियमित किया जाएगा। केंविसं के संबंधित सक्षम प्राधिकारी को प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदित किए जांएगें बशर्ते कि वह पूर्व लेखा-परीक्षित राशि सरकारी/ सीजीएचएस की दरों के अनुसार अधिकतम रु० 50,000/- हो, और इससे अधिक की राशि होने पर उसका अनुमोदन केविसं (मु०)द्वारा किया जाएगा जैसाकि इस कार्यालय के दिनांक 08.06.2017 के कार्यालय आदेश में उल्लेख किया गया है।

(ग) तथापि, राज्य सरकार/सीजीएचएस/केन्द्रीय सेवा (एमए) नियमों द्वारा मान्यता प्राप्त किसी निजी अस्पताल में चिकित्सा/उपचार के संबंध में प्राप्त होने वाले दावों को केन्द्रीय सेवा नियमावली के नियम 2 के अनुसार जीआईडी(12) के तहत विनियमित किया जाएगा। इस विषय में केविसं मुख्यालय द्वारा कुछ स्पष्टीकरण पूर्व में भी दिनांक 08.03.2006 के पत्र के द्वारा पहले भी जारी किए गए थे, तथापि सामान्य जानकारी के लिए उन्हें एक बार फिर से दोहराया जाता है, जो निम्नानुसार है:

(i) इस तरह के विशेष उद्देश्यों के लिए मान्यताप्राप्त निजी अस्पताल में विशेष उपचार की अनुमति तभी दी जाती है जब किसी सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञ/जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी दारा लिखित रूप में उस इलाज को करवाने का परामर्श दिया जाता है। ऐसे मामलों में, क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त (क्षेत्रीय कार्यालय के ग्रुप "ए" समूह के अधिकारियों को छोड़कर) अपने अधीन क्षेत्रीय कार्यालय और केन्द्रीय विद्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुमति देने के लिए सक्षम होंगे।

(ii) कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के केन्द्रीय सेवा (एमए) नियमावली, 1944 के नियम 2 (घ) के तहत सामान्य उद्देश्यों के लिए मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों में सीधे ही जाकर बाह्य रोगी उपचार (ओपीडी उपचार) ले सकता है।

(iii) तथापि केन्द्रीय सेवा (एमए) नियमों के नियमावली 2 (घ) के तहत सामान्य उद्देश्यों के लिए मान्यताप्राप्त ऐसे निजी अस्पतालों में इन्डोर(भर्ती होकर) उपचार प्राप्त करने से पहले कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी, अर्थात उपायुक्त से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा। क्षेत्रीय कार्यालयों/केन्द्रीय विद्यालयों के ग्रुप "ए" के अधिकारियों को छोड़कर, संबंधित उपायुक्त सक्षम प्राधिकारी होंगें तथा ग्रुप "ए" अधिकारियों के मामलों में केविसं मुख्यालय से अनुमति प्राप्त की जाएगी। ऐसे सभी मामलों में, चिकित्सा प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय के अनुसार स्वीकार्य दरों पर या सीजीएचएस की अनुमोदित दरों पर, जो भी कम हो, तक सीमित होकर देय होगी।

4.उपरोक्त स्पष्टीकरण केवल दृष्टांत हैं एवं संपूर्ण नहीं हैं। अतः कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा /उपचार संबंधी अपने चिकित्सा दावों को अपने नियंत्रणाधीन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएँ जो केन्द्रीय सेवा (एमए) / सीजीएचएस नियमों के अनुसार लागू होने वाली सभी प्रक्रियाओं के अनुसार उस पर कार्रवाई करेंगे।
इसे संयुक्त आयुक्त (वित्त), केविसं के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय

(ओमवीर सिंह श्योरान) 16/6/21
सहायक आयुक्त (वित्त)

प्रतिलिपिः
1. केविसं के निजी सचिव को केविसं के आयुक्त के संज्ञान में लाने हेतु प्रेषित।
2. उपायुक्त (ईडीपी), केविसं (मुख्यालय) को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे सभी संबंधित की जानकारी हेतु केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करवाए ।
3. केविसं (मुख्यालय) के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
4. केविसं के सभी मान्यताप्राप्त संघों के महासचिव को सूचनार्थ प्रेषित।